सारांश*

भारतीय वन सेवा, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, "अधिक सुरक्षा, अधिक संरक्षण", का मंत्र उपयोग करती है।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप, वन्यजीवों की सुरक्षा और वनों के संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार ने संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और भागीदारी दोनों को सुनिश्चित करने के लिए, हरित उपायों को अपनाया है।

यह शोधपत्र दर्शाता है कि संरक्षण के सुरक्षाकरण के पूरक के रूप में संरक्षण के सहभागी रूपों का उपयोग कैसे किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन को नियंत्रित करने और नए पर्यावरणीय विषयों को बनाने के साधन के रूप में कार्य करता है। यह शोधपत्र, भारत के पूर्वीतर राज्य असम के जैव विविधता संरक्षण हॉटस्पॉट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, के एक केस स्टडी के माध्यम से ऐसा करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के सफल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।

यह 'सफलता' इसके हिंसक और सैन्यीकृत शिकार विरोधी संरक्षण उपायों, तथा 'किसी भी कीमत पर' गैंडे की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों की आलोचनाओं के बीच उभर कर आती है।

यह शोधपत्र काजीरंगा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य एजेंसियों द्वारा समर्थित भागीदारी संरक्षण तंत्रों का विश्लेषण करता है, जो मुख्य रूप से दो निकायों के पुनरोद्धार के माध्यम से किया जाता है: पारिस्थितिकी विकास समिति और स्वैच्छिक रक्षा संगठन।

परिणाम दर्शाते हैं कि हिंसा के नरम रूप कठोर रूपों का पूरक कैसे बनते हैं, जिससे असम में संरचनात्मक हिंसा और राष्ट्रीय निर्माण की व्यापक प्रक्रिया को समर्थन मिलता है।

इस शोधपत्र के परिणाम दर्शाते हैं कि हिंसा के नरम रूप, कठोर रूपों के पूरक हैं। इससे असम में संरचनात्मक हिंसा और राष्ट्रीय निर्माण की व्यापक प्रक्रिया का समर्थन होता है। यह शोधपत्र दर्शाता है कि भागीदारी तंत्र का उपयोग 'विद्रोह विरोधी प्रथाओं' के रूप में कैसे किया जाता है।

संकेतशब्द

हिंसा; सहभागी संरक्षण; भारत; सैन्य; सरकारीता

^{*}Translation provided by author